न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:– 12/22/2024 रजू दिनांक: 20.02.2024 रजि0 न0 2024/46

अपीलार्थी:–

श्री नटवरसिंह पुत्र हरिराम गुर्जर, निवासी गुर्जर मौहल्ला, बहादुरपुर रोड़ रामगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0 – 301026

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 19.03.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 26.02.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/392 दिनांक 28.02.2024 प्रस्तुत कर कार्यालय द्वारा पूर्व में किए गये विनिश्चय पत्र सं0 43 दिनांक 08.01.2024 पर अपीलार्थी द्वारा असंतोष वयक्त किया है के संबंध में अवगत कराया है, कि सूचना आवेदन दिनांक 05.12.2023 में वांछित सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB प्रकरण) से संबंधित है,. जो अधिनियम 2005, की धारा 8(1)(एच) के आलोक में न्यायिक प्रकिया अन्तर्गत अन्वेषण से संबंधित होने के कारण अदेय है। यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण सं0 736/ICPB/2007 ब.उ. दीपक मित्रा बनाम युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया में दिनांक 30.07.2007 को निर्णय पारित कर उद्धरित किया है कि "किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है और सूचना न्यायाललय के समक्ष विचाराधीन मामले से प्रत्यक्ष संबंधी रखती है, उसे न्यायालय से ऐसी सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए कहा जा सकता है जब वह स्वयं एक पक्ष के रूप में कार्यवाही में सम्मिलित है, न्यायिक प्रकिया के अन्तर्गत नकलें व दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते है।" अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्न पत्रादी के अवलोकन से स्पष्ट है कि "किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है और सूचना न्यायाललय के समक्ष विचाराधीन मामले से प्रत्यक्ष संबंधी रखती है, उसे न्यायालय से ऐसी सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए कहा जा सकता है जब वह स्वयं एक पक्ष के रूप में कार्यवाही में सम्मिलित है, न्यायिक प्रकिया के अन्तर्गत नकलें व दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते है।" वांछित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानो के आलोक में प्रश्नगत सूचना अदेयता की श्रैणी में है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)